न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/137

दलजीत सिंह मृतक जरिये कायममुकामान :–
अमृत पाल सिंह आयु 43 वर्ष आत्मज श्री दलजीत सिंह जाति जट सिक्ख निवासी हाथीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. छीतर लाल आत्मज श्री गेन्दीलाल मृतक जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रमेश पुत्र स्व0 श्री छीतर लाल जाति खारवाल ।
   1/2. महावीर पुत्र स्व0 श्री छीतर लाल जाति खारवाल ।
   1/3. दुर्गाशंकर पुत्र स्व0 श्री छीतर लाल जाति खारवाल।
   1/4. दीपचन्द पुत्र स्व0 श्री छीतर लाल जाति खारवाल ।
   1/5. रामकन्या बाई बेवा स्व0 श्री छीतर लाल जी जाति खारवाल निवासीगण बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   1/6. सुनीता पुत्री स्व0 नन्दकिशोर जाति खारवाल निवासी बोरखण्डी हाल निवासी पाटनपोल तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मोडू लाल आत्मज श्री गेन्दी लाल जी जाति खारवाल निवासी बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सुशीला पुत्री भैरूजी जाति बलाई ।
4. कौशल्या पुत्री भैरूजी जाति बलाई ।
5. छोटू आत्मज श्री गणेश जी जाति बलाई ।
6. पुष्पा बाई पुत्री गणेश जी बालई मृतक जरिये कायममुकामान :–
   6/1. नाथूलाल आत्मज श्री गजानन्द जी जाति बलाई ।
   6/2. गिरराज पुत्र गजानन्द जी जाति बलाई ।
7. औंकारी
8. लछमा पुत्रियॉ गणेश जी बलाई निवासीगण ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. सत्येन्द्र पाल सिंह आत्मज श्री बख्तावर सिंह जाति जट सिक्ख निवासी हाथीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राघवेन्द्रपाल सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 07.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक जिलाधीश मुख्यालय कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.1990 एवं दुरूस्ती रकबा निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.02.1996 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 155 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 207 की 37 बीघा 07 बिस्वा आराजी जिसका रकबा 6.46 हैक्टर होता के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजूदा सेटलमेंट में उक्त भूमि का नया खसरा नम्बर 270 रकबा 5.47 हैक्टर कायम हुआ है । इस प्रकार वादीगण के खाते में 0.58 हैक्टर भूमि सेटलमेंट विभाग ने गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से कम करके प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 09 के खाते में दर्ज कर दी ।

3. अतः वादीगण को ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 207 की 37 बीघा 07 बिस्वा भूमि अर्थात् 6.46 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के खाते से 0.58 हैक्टर भूमि कम की जाकर 6.46 हैक्टर भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज की जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं संशोधित नक्शा बनाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के शांतिपूर्वक एवं वैधानिक कब्जे काश्त की उक्त भूमि में कोई मजाहमत व मदाखलत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.10.1990 के द्वारा ग्राम हाथीखेडा की आराजी खसरा नम्बर 271/367 की दक्षिण दिशा की 0.35 हैक्टर व खसरा नम्बर 269 की 0.15 हैक्टर पश्चिम साइड का वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने हेतु तसहीलदार लाडपुरा को निर्देशित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की एवं दिनांक 14.02.1996 को दुरूस्ती आदेश एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.1990 एवं दुरूस्ती रकबा निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.02.1996 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा कहीं भी अपने वाद में यह प्रमाणित नहीं किया है कि वादी रेस्पोडेन्ट जो अपना कमी रकबा बताकर वाद लाया है वह अपीलान्ट की आरजिी में सेटलमेंट द्वारा सम्मिलित की गई है । वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन में केवल अपने बयान करवाए हैं कोई राजस्व रिकॉर्ड पूर्व नक्शा ट्रेस व सेटलमेंट के बाद का नक्शा ट्रेस पेश नहीं किया गया है न ही प्रमाणित करवाया गया है।अपीलान्ट नाबालिग है। विधि सम्मत तामील नहीं करवायी गई है । अपीलान्ट के पिता ने साबिक खसरा नम्बर 208 की 06 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 211 की 03 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 232 की 08 बीघा 17 बिस्वा आराजी क्रय की थी जिस पर अपीलान्ट काबिज है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है त्रुटिपूर्ण है । अतः

अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.1990 एवं दुरूस्ती रकबा निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.02.1996 निरस्त फरमाया जावे।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना ही पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.04.2015 को वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की आराजी पर कब्जा करने आने तथा उनके पक्ष में निर्णय होने तथा अपीलान्ट की आराजी में से आराजी दिलवाने के बाबत कहने पर हुई । अतः सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 21.04.2015 से दिनांक 29.04.2015 तक का विलम्ब क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को पेश किया और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षीय सुनी । विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि पत्रावली में नक्शा ट्रेस पूर्व में ही पेश किया गया है । शेष दस्तावेज विलम्ब से पेश करने का कोई कारण नहीं बताया है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । आर.आर.टी 2013 (1) पेज 608, आरआरटी 2006 (1) पेज 282, आरआरटी 2004 (2) पेज 1268 उद्धरत की । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । पेश किये गये दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड मिलान क्षेत्रफल एंव भू–प्रबन्ध विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1985, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । ये दस्तावेज प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित हैं । इसलिए न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के पिता दलजीत को प्रतिवादी कम 2 नाबालिक जरिये वली पक्षकार बनाया गया है । अपीलान्ट की विधि सम्मत रूप से तामील नहीं करवाई गई है । तामील में अंकित किया है कि लेने से इंकार । अपीलान्ट के पिता दलजीत नाबालिग थे यदि उनके वली ने तामील लेने से इंकार किया तो अधीनस्थ न्यायालय की यह जिम्मेदारी बनती थी कि उनका किसी को सरंक्षक नियुक्त करते । नाबालिग के खिलाफ संरक्षक नियुक्त किये बिना एकतरफा कार्यवाही की गई है वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । अपीलान्ट को जानकारी मिलने के उपरान्त अपील पेश की है और विलम्ब को क्षम्य करने के लिए अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है । अपीलान्ट के पक्ष में दौराने सेटलमेंट सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने आदेश पारित किया है जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट वादी कर सकते थे परन्तु उनके द्वारा इसकी कोई अपील नहीं की गई । ऐसी स्थिति में आदेश अंतिम हो चुका है। इसके खिलाफ वादी को यह कथन करने का अधिकार नहीं है कि वादी के खाते में जो आराजी कम हुई वह अपीलान्ट के खाते में दर्ज की गई । अपीलान्ट को सुनवाई का

अवसर दिये बिना उनके खाते की आराजी कम की गई है जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । दिनांक 14.12.1996 के आदेश जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.1990 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 2016–17 पेज 20, आरआरटी 2018 (1) पेज 498, आरआरटी 2018 (1) पेज 619, आरबीजे 2015 (22) पेज 482, आरआरटी 2018 (1) पेज 601, आरएलडब्ल्यू 2005 पेज 131, आरएलडब्ल्यू. 2003 (4) पेज 509 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपील लम्बी अवधि के विलम्ब से पेश की है और विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण भी दर्शित नहीं किया गया है । अपीलान्ट ने विलम्ब को क्षम्य करने के लिए जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें दिनांक 21.04.2015 से 29.04.2015 तक के विलम्ब को शमन करने की प्रार्थना की है जबकि उक्त अपील 1990 के आदेश के खिलाफ 25 बाद के बाद पेश की गई है और इस विलम्ब को शमन करने के लिए प्रार्थना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना हो चुकी है । सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी का आदेश 35 वर्ष बाद पेश किया गया है जो साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है । मियाद के आधार पर अपील खारिज होने योग्य है । अपीलान्ट की एक इंच भी जमीन कम नहीं हुई है । एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । अपील गंभीर रूप से मियाद बाहर है । अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2010 (2) आरआरटी पेज 801, 2011 (1) आरआरटी पेज 117, 2010 डीएनजे (एससी) पेज 294, 2014 (1) आरआरटी पेज 502 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने सन् 1990 में पारित निर्णय के विरूद्ध अपील वर्ष 2015 में पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब के कारण दर्शित करते हुए अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें मुख्य रूप से कथन किया गया है कि निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.04.2015 को हुई, जानकारी की दिनांक 21.04.2015 को नकल प्राप्त करने पर दिनांक 29.04.2015 तक का विलम्ब शमन किया जावे ।

12. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने यह आपत्ति की है अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 21.04.2015 से 29.04.2015 तक के विलम्ब के शमन की प्रार्थना की है उससे पूर्व की अवधि के लिए कोई प्रार्थना नहीं की है । अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि वो अल्पवयस्क थे और उनके वली को नोटिस मिलने के बाद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो अधीनस्थ न्यायालय की यह जिम्मेदारी थी कि उनका संरक्षक नियुक्त कर जवाबदेही का अवसर प्रदान करते जो नहीं किया गया है । इस क्रम में पत्रावली में सलंग्न अपीलान्ट के सम्मन का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट को प्रतिवादी क्रम 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है और इसको जारी किये गये सम्मन का लिफाफा जो जरिये रजिस्टर्ड भेजा गया था उसमें प्राप्तकर्ता ने लेने से इंकार किया अंकित है और इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके खिलाफ दिनांक 19.07.1990 को एकतरफा कार्यवाही की गई है । जहॉ तक अपीलान्ट के नाबालिग होने का प्रश्न है दावा अधीनस्थ न्यायालय में वर्ष 1987 में पेश किया गया है उसमें प्रतिवादी क्रम 2 को नाबालिग जरिये वली दिलावर सिंह दर्शाया गया है । अपील सन् 2015 में उनके पुत्र अमृत पाल सिंह ने पेश की है और सन् 2015 में अपनी आयु 43 वर्ष बताई है । ऐसी स्थिति में इस आधार पर दावा दायरी के दिनांक को अपीलान्ट दलजीत सिंह के पुत्र की आयु 13 वर्ष होनी

चाहिए । यदि दलजीत के पुत्र अमृत पाल सिंह की आयु दावा दायरी की दिनांक को 13 वर्ष है तो इनके पिता दावा दायरी के दिनांक को नाबालिग नहीं हो सकते । यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जावे कि दावा दायरी के दिनांक को वे नाबालिग थे और उनके वली ने नोटिस लेने से इंकार किया इस आधार पर उनके खिलाफ सन् 1990 में एकतरफा कार्यवाही हो गयी है तो भी उनके द्वारा अपील पेश करने में गंभीर रूप से विलम्ब किया गया है और इस 25 वर्ष के विलम्ब का समुचित कारण नहीं दिया गया है ।

13. यदि गुणावगुण के आधार पर भी पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपीलान्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 271/367 में से 0.35 हैक्टर आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया है । अपीलान्ट ने अपील में जो दस्तावेज पेश किये हैं उनके अनुसार उनके द्वारा ठाकुर सिंह वल्द बसन्त सिंह से साबिक खसरा नम्बर 211 की 03 बीघा 12 बिस्वा और खसरा नम्बर 232 की 08 बीघा 17 बिस्वा कुल 12 बीघा 09 बिस्वा आराजी का क्रय किया है । सेटलमेंट के उपरान्त खसरा नम्बर 245 रकबा 1.54 हैक्टर और खसरा नम्बर 271/367 हैक्टर रकबा 1.11 हैक्टर कुल 02 किता की 2.65 हैक्टर आराजी उनके खाते में दर्ज की गई है । यह रकबा उनके द्वारा क्रय किये गये 12 बीघा 09 बिस्वा से अधिक है । अपीलान्ट ने जो अपील में मिलान क्षेत्रफल की प्रति पेश की है उसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 208 और खसरा नम्बर 211 दोनों को मिलाकर हाल खसरा नम्बर 271 रकबा 0.98 हैक्टर दर्ज किया गया है । साबिक खसरा नम्बर का रकबा मिलान क्षेत्रफल में अंकित नहीं है । इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 232 मिन का हाल खसरा नम्बर 245 रकबा 1.54 हैक्टर दर्ज किया गया है और साबिक खसरा नम्बर 211 मिन और खसरा नम्बर 208 मिन का हाल खसरा नम्बर 271/367 रकबा 1.11 हैक्टर दर्ज किया गया है । ठाकुर सिंह पुत्र बसन्त सिंह के खाते की नकल जमाबन्दी संवत् 2034 से 2037 के अनुसार कुल 03 किता की 18 बीघा 12 बिस्वा आराजी दर्ज थी उसमें से खसरा नम्बर 208 की 06 बीघा 03 बिस्वा आराजी सत्येन्द्र पाल सिंह और शेष आराजी खसरा नम्बर 211 और 232 की कुल 12 बीघा 09 बिस्वा आराजी अपीलान्ट ने क्रय की थी । तीनों नम्बरों के कुल रकबे 18 बीघा 12 बिस्वा को समग्र रूप से देखे तो भी इनका रकबा कम नहीं हुआ है । हाल खसरा नम्बर 271 का रकबा 0.98 हैक्टर और खसरा नम्बर 245 का रकबा 1.54 हैक्टर, 271/367 का रकबा 1.11 हैक्टर कुल रकबा 3.63 हैक्टर है जो कि 18 बीघा 12 बिस्वा से अधिक ही है । नक्शा ट्रेस सुपर इम्पोज करके साबिक एवं हाल खसरा नम्बर के नक्शे को मिलान करने पर भी प्रतीत होता है कि साबिक खसरा नम्बर 207 का कुछ रकबा हाल खसरा नम्बर 271/367 में शामिल हो गया है।

14. इन तथ्यों के आधार पर गुणावगुण के आधार पर भी अपीलान्ट की अपील सारहीन प्रतीत होती है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से एवं गुणावगुण के आधार पर भी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.1990 एवं दुरूस्ती रकबा निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.02.1996 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/137

दलजीत सिंह मृतक जरिये कायममुकामान :–
अमृत पाल सिंह आयु 43 वर्ष आत्मज श्री दलजीत सिंह जाति जट सिक्ख निवासी हाथीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. छीतर लाल आत्मज श्री गेन्दीलाल मृतक जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रमेश पुत्र स्व0 श्री छीतर लाल जाति खारवाल ।
   1/2. महावीर पुत्र स्व0 श्री छीतर लाल जाति खारवाल ।
   1/3. दुर्गाशंकर पुत्र स्व0 श्री छीतर लाल जाति खारवाल।
   1/4. दीपचन्द पुत्र स्व0 श्री छीतर लाल जाति खारवाल ।
   1/5. रामकन्या बाई बेवा स्व0 श्री छीतर लाल जी जाति खारवाल निवासीगण बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   1/6. सुनीता पुत्री स्व0 नन्दकिशोर जाति खारवाल निवासी बोरखण्डी हाल निवासी पाटनपोल तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मोडू लाल आत्मज श्री गेन्दी लाल जी जाति खारवाल निवासी बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सुशीला पुत्री भैरूजी जाति बलाई ।
4. कौशल्या पुत्री भैरूजी जाति बलाई ।
5. छोटू आत्मज श्री गणेश जी जाति बलाई ।
6. पुष्पा बाई पुत्री गणेश जी बालई मृतक जरिये कायममुकामान :–
   6/1. नाथूलाल आत्मज श्री गजानन्द जी जाति बलाई ।
   6/2. गिरराज पुत्र गजानन्द जी जाति बलाई ।
7. औंकारी
8. लछमा पुत्रियॉ गणेश जी बलाई निवासीगण ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
9. सत्येन्द्र पाल सिंह आत्मज श्री बख्तावर सिंह जाति जट सिक्ख निवासी हाथीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.1990 एवं दुरूस्ती रकबा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.02.1996 अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश मुख्यालय कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 46/दावा/1990

1. छीतर लाल
2. मोडू लाल पिसरान गेन्दी लाल खारवाल निवासी बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

––वादी

बनाम

1. सत्येन्द्रपाल सिंह आत्मज बख्तावर सिंह जाति जट सिक्ख आयु 14 वर्ष नाबालिग जरिये वली पिता स्वयं ।
2. दलजीत सिंह आत्मज दिलावर सिंह जाति जट सिक्ख नाबालिग जरिये वली पिता ।
3. सुशीला पुत्री भैरू जी जाति बलाई ।
4. कौशल्या पुत्री भैरू आयु 15 वर्ष जरिये वली माता स्वयं कस्तूरी ।
5. मु0 कस्तूरी बेवा भैरू जी जाति बलाई ।
6. छोटू आत्मज गणेश जी जाति बलाई ।
7. पुष्पा
8. औंकारी
9. लछमा पुत्रियॉ गणेश नाबालिग जरिये वली भाई छोटू आत्मज गणेश निवासीगण ग्राम हाथीखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.1990 एवं दुरूस्ती रकबा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.02.1996 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 07.09.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रघुवीर सिंह राठौड एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री राघवेन्द्रपाल सिंह के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि आधार पर पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से एवं

गुणावगुण के आधार पर भी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.1990 एवं दुरूस्ती रकबा निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.02.1996 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 07.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

7/9/18

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा